सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या 685 /रा0नि0आ0–3/1452/2023 दिनांक 02 सितम्बर, 2026

अधिसूचना

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम–2007 की धारा–8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतद्द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में **(प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र–जिला पंचायत, हरिद्वार का सम्पूर्ण क्षेत्र को छोड़कर)** जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराये जाने हेतु निम्नलिखित समय–सारिणी निर्धारित करता हूँ :–

1.	निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन	08 सितम्बर, 2026
2.	निरीक्षण एवं दावा आपत्ति दाखिल करने की अवधि	10 सितम्बर, 2026
3.	दावा/आपत्ति का निस्तारण	12 सितम्बर, 2026
4.	अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावली का प्रकाशन	15 सितम्बर, 2026

2– उपरोक्त निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार संलग्न **प्रारूप–क** पर जिला मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग ऑफिसर (जिला योजना समिति) द्वारा जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु जिला पंचायत तथा नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों की मतदाता सूची की तैयारी के कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रचार–प्रसार कराया जायेगा तथा निर्वाचक मण्डल की जानकारी हेतु जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय और जिला पंचायत के मुख्यालय तथा सभी नागर स्थानीय निकायों के मुख्यालयों में प्रदर्शन कराया जायेगा।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही रिटर्निंग आफीसर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

संलग्नक–प्रारूप–क

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या– 685 /रा0नि0आ0–3/1452/2023 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला योजना समिति), उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा न्यूज चैनल्स के माध्यम से निःशुल्क प्रसारण कराना सुनिश्चित करें।

11. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून/नजीबाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे अपने संचार माध्यमों से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ कि वे कृपया इस अधिसूचना को राजकीय असाधरण गजट में प्रकाशित कराकर 50 प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
15. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड़।